Seat Reservation letter

67

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 523 राँची, सोमवार, 08 जुलाई, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई, 2019

संख्या-एल०जी०-24/2018-259/लेज०-- झारखण्ड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-08/07/2019 को अनुमति दे चुकी है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019

(झारखण्ड अध्यादेश, 02, 2019)

प्रस्तावना

चूँकि झारखण्ड विधान सभा सत्र में नहीं है;

और चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (झारखण्ड अध्यादेश-

01. 2019), जिसके द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित
जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन किया
गया था, को प्रत्याहरित कर नया अध्यादेश प्रख्यापित करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(1) यह अध्यादेश "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा किन्तु जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे।

2. "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 1 (1) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी:-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(च) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(च) 'आरक्षण' से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।

4. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 2(ज) अब निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

2(झ) "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसे निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हों, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा-

(क)	खुली गुणागुण (मैरिट) कोटि से	-	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	-	60 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होगी:-

(क)	अनुसूचित जाति – SC	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति – ST	-	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) – OBC	-	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) – BC	-	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर) EWS	-	10 प्रतिशत
		कुल	60 प्रतिशत

4(2)(क) सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा:-

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक-49) की धारा-34(1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांग-जनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए - 5 प्रतिशत

परन्तु, यह कि राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी,

परन्तु, यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जाएगा।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है, परन्तु ऐसे प्रत्याहरण के बावजूद उक्त अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अध्यादेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अध्यादेश उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 523 -- 50